फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

बाबूलाल वगै0 बनाम सरकार

ा संख्या : 107/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि जिसके पुराने खसरा नम्बर 578 मिन रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 580 मिन रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 581 मिन रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 582 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 583 रकबा 2 बिस्वा ग्राम सायपुरा तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जो कि एकीकरण नवीन खसरा नम्बर 270 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 273 रकबा 2 बिस्वा गै0मु0चाह अनुसार काश्त होकर प्रार्थीगण बतौर रिकार्डेड कब्जे काश्त खातेदारी में स्थित है। पूर्व में हुये एकीकरण के बाद प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमियों के नवीन खसरा नम्बर 270, 273 बनाये गये है परन्तु जो नवीन नक्शा कायम किया गया वह विधि विधान एवं मौका स्थिति के विपरित तथा बिना प्रार्थीगण को सूचना दिये बनाया गया है जो गलत तरमीम कर कायम किया गया है। लेकिन एकीकरण के समय बनाये गये नवीन नक्शे मे प्रार्थीगण की भूमि में से लगभग 13 बिस्वा भूमि कम करके नक्शा कायम किया हुआ है जो कि गलत है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित ग्राम सायपुरा के नवीन खसरा नम्बर 270, 273 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का नक्शा दुरूस्त कर पुराने नक्शें अनुसार व रकबा बरारी व मौके पर काबिज अनुसार दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करें। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अवगत कराया कि ग्राम सायपुरा के खसरा नम्बर 270, 273 वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। ग्राम सायपुरा में वरवक्त एकीकरण से आदिनांक तक एक ही नक्शा चला आ रहा है। एकीकरण पूर्व का नक्शा उपलबध नही होने व एकीकरण अर्थात 1965 से लगातार एक ही नक्शा उपयोग होने के कारण एवं मौके पर संघन आबादी/पुख्ता मकान होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है। अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणो का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार का जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम सायपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 270, 273 मे मौके पर सघन आबादी/पुख्ता मकानात बने हुए है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।	